

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

(पीठासीन अधिकारी (कैम्प कोर्ट) कैम्प मीरवा)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी..... व भू.अ.नि..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुपंषा के आधार पर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत में खाता संख्या..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मीरवा	169, 195	रूपनाराम डा० मनोराम दि. 1/36 रूपनाराम कुभावल	रूपनाराम डा० मनोराम दि. 1/36 कुभावल

क्रमांक/प्र.गा.के.स. / 2025/ PPO/ 19
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।

मीरवा
पीठासीन अधिकारी
कैम्प कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी, नावां (नामसैर)
दिनांक :-
26/6/25

मीरवा
पीठासीन अधिकारी
कैम्प कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी, नावां (नामसैर)
दिनांक :-

श्रीमान तहसीलदार
नावां।

विषय- नाम में संशुद्धि
महोदय जी,